पत्रांक–04 / सड़क–01–120 / 2026 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर पंचायत, रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु कुल अवशेष राशि ₹99.69500 लाख (निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रुप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर पंचायत, रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण कार्य हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–227 दिनांक–27.09.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल राशि ₹70.16000 लाख (सत्तर लाख सोलह हजार रूपये) मात्र आवंटित किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामगढ़ का पत्रांक–438 दिनांक–18.05.2026 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित PL खाता में स्तम्भ–07 में अंकित एकरारनामा राशि के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ–9 में अंकित अवशेष राशि ₹99.69500 लाख (निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026–27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	PL खाता संख्या	HOA संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर पंचायत, रामगढ़	नगर पंचायत, रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–12, रामगढ़ बक्सर पथ से भाया राधेश्याम यादव के घर होते हुए दुर्गावती नदी तक नाला निर्माण कार्य	BBWPLA010	00-8448-00-102-0003-00-01	170.16000	169.85500	70.16000	99.69500
				कुल	**170.16000**	**169.85500**	**70.16000**	**99.69500**

अर्थात् ₹99.69500 लाख (निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹99.69500 लाख (निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास***

एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निकाय के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹99.69500 लाख (निन्यानवे लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र माँग संख्या–48, मुख्य शीर्ष– 2215–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष–0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48-2215021930102, विषय शीर्ष–0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

5. बिहार कोषागार सहित के नियम– 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–61, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या (e-file)–पथ0नि0/29/2026-SEC_4-UDHD DEPT के Note#4 पर दिनांक–10.08.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#23 पर दिनांक–30.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/ सड़क–01–120/2026 233 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–07/11/26

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामगढ़/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव–सह–व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।